न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 02 / 2022
तारीख दायरा – 03.02.2022

प्रार्थी:–

जोगाराम मीणा पुत्र उदाराम मीणा
निवासी–गुडा माताजी , तहसील–देसूरी, जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी(प्रतिनिधि)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री बादशाह अली अधिवक्ता– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कैलाश ईनाणिया तहसीलदार देसूरी राजस्थान सरकार पैरोकार।

–: आदेश :– दिनांक– 21/4/2022

1. प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 का अधिनियम की धारा 251क की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम छोडा की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076, नक्शा ट्रेस नजरी नक्शा, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या नया 224 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम छोडा के खसरा नम्बर 591 रकबा 1.1600 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि के आने–जाने के लिए (रास्ते की भूमि) 20 फीट चौडा रास्ता हेतु नक्शे में लाल स्याही में दर्शित अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 590 रकबा 1.49 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड में से रास्ते हेतु भूमि की मांग की है।
3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी(भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जाच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक / कोर्ट / 2022 / 140 दिनांक 06.04.2022 को लिखा गया।
4. अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी के द्वारा उनके पत्रांक राजस्व / कोर्ट / 2022 / 559 दिनांक 07.04.2022 के जरिये भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका [illegible] नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा मय प्रस्तावित रास्ते की अनुशषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

पेज लगातार 02 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 15:28:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 02/2022
अनवान जोगाराम बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 251ए राज
अभिधृति

(1) प्रार्थी श्री जोगाराम मीणा पुत्र उदाराम मीणा निवासी गुडा माताजी तहसील देसूरी की ग्राम छोडा तहसील देसूरी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 1.16 हेक्टर किस्म बारानी दोयम पर पंहुचने के लिए सिवायचक भूमि ग्राम छोडा के खसरा नम्बर 590 रकबा 1.49 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड में से 20 फीट छोडा रास्ता की मांग रोड से नजदीक रहेगा।

(2) प्रस्तावित रास्ते का मौका देखने पर खसरा नम्बर 591 रकबा 1.16 हेक्टर किस्म बारानी दोयम रास्ते से लगते हुए राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 590 रकबा 1.49 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड पडत पडी है।

(3) प्रस्तावित रास्ता 20 फीट चौडाई के लिए मौके पर खसरा नम्बर 590 में मौका फर्द मे दर्शित अनुसार दिया जा सकता है।

(4) उपरोक्त नाप के अनुसार रास्ता दिये जाने से 20 फीट चौडा व 38 मीटर लम्बा रास्ता रहेगा रास्ते हेतु दिये जाने वाली भूमि का रकबा 0.023170 हेक्टर अर्थात 231.70 मीटर भूमि राजकीय सिवायचक खसरा नम्बर 590 मे से प्रभावित होगी।

(5) प्रस्तावित रास्ते में कोई पेड व किमती पेड खडा नहीं है। रास्ता दिया जाने पर किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है।

(6) प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 590 किस्म गे.मु.त्र पहाड की वर्तमान डी.एल.सी. कीमत रूपये 183708/– प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रस्तावित रास्ता 231.70 वर्ग मीटर की राशि रूपये 4262/– होते है। जिसकी डबल राशि 8540/– रू. बनते है।

तहसीलदार देसूरी द्वारा रास्ते की प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा, मौका फर्द एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 591 में आवागमन हेतु रास्ता रेकर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी को खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 591 में आने–जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार खसरा नम्बर 676 रास्ता से लगते हुए राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 590 जो मौकाफर्द में दर्शित मार्क अनुसार 20 फीट चौडा तथा 38 मीटर लम्बा रास्ता रकबा 0.023170 हेक्टर [illegible] मीटर का रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को राशि [illegible] रू. का अनुदान भुगतान राजकोष में जमा कराना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 15:28:46 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमांक (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 02/2022
अनवान जोगाराम बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251क स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी को 20 फीट चौडा रास्ता व 38 मीटर लम्बा रास्ता के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. की दर अनुरूप प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 8540/– रू. प्रार्थी जरिये चालान राजकोष में जमा करावें। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम छोडा के खसरा नम्बर 591 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 676 रास्ता से लगते हुए सिवायचक खसरा नम्बर 590 जो मौका फर्द में दर्शित मार्क अनुसार 20 फीट चौडा व 38 मीटर लम्बा रास्ता कुल रकबा 0.023170 हेक्टर अर्थात 231.70 वर्गमीटर दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जरिये चालान राशि जमा होने के बाद ही रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
एवं उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 21/4/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
एवं उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 15:28:46 IST
Reason: SelfAttested